अध्याय-V
वाहन, यात्री एवं माल पर कर

अध्याय-V
वाहन, यात्री एवं माल पर कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला मेजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा 63 पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी हैं जो केन्द्र एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा माल व यात्री कर की प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान 91 लेखापरीक्षा इकाइयों में से 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिनमें सांकेतिक कर[1], विशेष पथ कर[2], पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाईसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बन्धित ₹190.61 करोड़ की प्राप्तियां हैं, जिनमें 242 मामलों में ₹47.36 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जिनको नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की सख्या	राशि
1.	**गैर वसूली /अल्प वसूली**		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	11	0.53
	• विशेष पथ कर	18	22.62
	• यात्री व माल कर	11	1.44
2.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	129	7.94
	• यात्री व माल कर	17	1.29
3.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	41	13.05
	• यात्री व माल कर	15	0.49
योग		**242**	**47.36**

श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

[1] सभी व्यावसायिक वाहनों पर कर वार्षिक रूप से भुगतान योग्य है।

[2] 25 से अधिक बैठने की क्षमता वाली सभी बसों पर मासिक कर देय है।

ग्राफ - 5.1

लेखापरीक्षा परिणाम

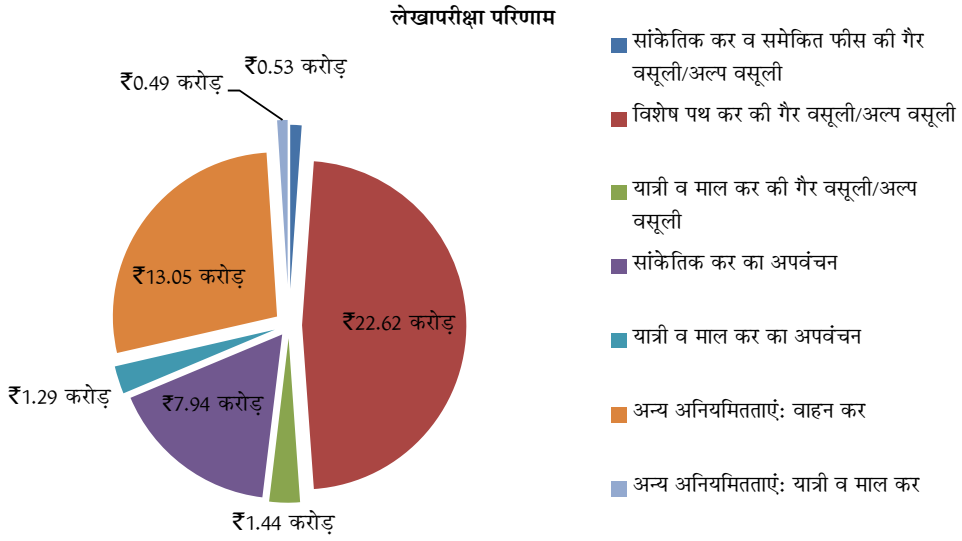

विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान, विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 79 मामलों में ₹7.86 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 79 मामलों में ₹82.78 लाख की राशि वसूल की गई।

₹34.85 करोड़ की राशि से अन्तर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.3 विशेष पथ कर की गैर वसूली/अल्प वसूली

हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों से ₹23.38 करोड़ राशि के विशेष पथ कर को वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य में उपयोग किए अथवा उपयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर मासिक विशेष पथ कर लगाएगी। यह प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अग्रिम रूप से निर्धारित दरों[3] पर देय होगा। पुन: अधिनियम में विशेष पथ कर से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रूट परमिट सहित जमा करवाता है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियम, 1974 में नियत है कि यदि कोई वाहन मालिक देय विशेष पथ कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी वाहन मालिक को देय कर की 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

I. *हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना*

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 48 इकाइयों के विशेष पथ कर रजिस्टरों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमें कुल 3,319 बसें सम्मिलित थी तथा पाया कि 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 2,370 बसों में से 1,129 बसों ने अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि हेतु ₹21.76 करोड़[4] के विशेष पथ कर का भुगतान

[3] विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाए जा रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य उच्च मार्ग, ग्रामीण सड़कें एवं 30 किलोमीटर के दायरें में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमश: ₹6.04, ₹5.03, तथा ₹4.03, प्रति सीट प्रति किलोमीटर है।

[4] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर: ₹1.05 करोड़, चम्बा: ₹1.59 करोड़, धर्मशाला: ₹5.99 करोड़, हमीरपुर: ₹1.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.25 करोड़, मण्डी: ₹2.57 करोड़, नाहन: ₹1.04 करोड़, शिमला: ₹4.35 करोड़, सोलन: ₹1.11 करोड़ तथा ऊना: ₹0.75 करोड़

नहीं किया। विशेष पथ कर न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ने जमा करवाया था और न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने इसकी मांग की थी। वर्ष 2011-12 से 2016-17 में लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार वही मामले उठाने के बावजूद भी समय पर वसूली को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कारवाई नहीं की गई थी जो कि देय कर की राशि की वसूली हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में निष्क्रियता को दर्शाती है। वास्तव में यह चूक गम्भीर मानी जाती है क्योंकि करों के भुगतान की दोषी सरकारी संस्था के अतिरिक्त कोई और नहीं है तथा पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था तथा विभाग ने देय राशि की वसूली नहीं की थी।

II. *निजी स्टेज कैरिज द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना*

इसी प्रकार, आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[5] के विशेष पथ कर रजिस्टरों की छानबीन से पता चला कि 2016-17 की अवधि से सम्बंधित 120 मामलों में ₹1.05 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रतीत होता कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा विशेष पथ कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.05 करोड़ के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दर पर ₹26.21 लाख की न्यूनतम शास्ति भी वसूली योग्य थी।

III. *विशेष पथ कर के निर्धारणार्थ रूट परमिटों की गणना न करना*

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 864 जारी रूट परमिटों में से, 28 रूट परमिटों को मासिक रिटर्नों में नहीं लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[6] द्वारा जारी किए गए रूट परमिटों को हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को प्रस्तुत की गई 2016-17 की अवधि हेतु विशेष पथ कर की मासिक विवरणियों के साथ प्रति-सत्यापित किया। ये रूट राज्य में 79,318 किलोमीटर की दूरी को आवृत्त करते है जिन पर सड़कों की श्रेणी तथा बैठने क्षमता के आधार पर ₹44.66 लाख विशेष पथ कर की गणना की गई। सम्बद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने इस चूक का पता नहीं किया एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपों द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्नों को स्वीकार किया। इस प्रकार ₹44.66 लाख विशेष पथ कर की राशि उस सीमा तक निर्धारण से छूट गई।

(ii) *विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण*

लेखापरीक्षा ने 2016-17 की अवधि के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों में विशेष पथ कर की गणना को दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[7] द्वारा जारी किए गए रूट परमिटों के साथ प्रति-सत्यापित किया। यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 की अवधि में 11 रूट परमिटों में ₹28.97 लाख देय विशेष पथ कर की गणना बैठने की क्षमता, उपयोग की गई सड़क की श्रेणी तथा तय की गई दूरी के आधार पर की गई थी जबकि देय विशेष पथ कर ₹16.46 लाख दर्शाया गया था। यह इस तथ्य का परिचायक था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्नों की जांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी रूट परमिटों के साथ नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹12.51 लाख का अवनिर्धारण हुआ।

---

5 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर: ₹4.25 लाख, कांगड़ा: ₹12.85 लाख, कुल्लू: ₹2.85 लाख, मण्डी: ₹31.47 लाख, नाहन: ₹1.11 लाख, शिमला: ₹21.03 लाख, सोलन: ₹13.90 लाख तथा ऊना: ₹17.37 लाख

6 कुल्लू: ₹15.02, नाहन: ₹4.29 लाख, शिमला: ₹14.21 लाख, सोलन: ₹7.92 लाख तथा ऊना: ₹3.22 लाख

7 सोलन: ₹9.70 लाख तथा नाहन: ₹2.81 लाख

उपर्युक्त मामलों में से किसी में भी अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रतीत होता हो कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों/रूट परमिटों को सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास सुपुर्द किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹23.38 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि हुई।

विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2018) कि सभी कराधान प्राधिकारियों को तुरन्त उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए गए थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

सरकार विशेष पथ कर के उचित निर्धारण तथा वसूली के लिए सभी रूट परमिटों को कार्यक्षेत्र में लाने हेतु 'वाहन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के बेड़ों पर विशेष पथ कर लगाने पर विचार कर सकती है जैसा कि निजी स्टेज कैरिज के लिए किया गया है।

5.4 सांकेतिक कर की गैर-वसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए 16,588 वाहनों के संदर्भ में ₹8.50 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित कर[8] की अलग-अलग दरों के अनुसार सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) वाहन मालिकों द्वारा, त्रैमासिक अथवा वार्षिक अग्रिम रूप में देय है। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वाहन मालिक देय कर की 25 *प्रतिशत* वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई जिनमें कुल 2,13,977 व्यावसायिक वाहन शामिल थे। 48 इकाइयों की लेखापरीक्षा छानबीन से उद्घाटित हुआ कि 23 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[9], 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[10] तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला में 2015-16 तथा 2016-17 वर्ष के लिए 16,588 वाहनों के सम्बन्ध में ₹8.50 करोड़ की राशि के सांकेतिक कर को इन वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं किया गया था। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता हो कि कर की वसूली हेतु कराधान प्राधिकारियों द्वारा दोषियों को नोटिस जारी किए थे अथवा कोई कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, कर भुगतान न करने हेतु निर्धारित दर पर शास्ति उद्ग्राहय थी। इसके परिणामस्वरूप ₹8.50 करोड़ के सांकेतिक कर की गैर वसूली हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

[8] हल्के माल वाहन (माल कैरिज): ₹1500 प्रति वर्ष, मध्यम माल वाहन: ₹2000 प्रति वर्ष, भारी माल वाहन: ₹2500 प्रति वर्ष, (स्टेज कैरिज): ₹500 प्रति सीट प्रति वर्ष तथा (संविदा कैरिज): मैक्सी कैब: ₹750 प्रति सीट प्रति वर्ष, मोटर कैब: ₹350 प्रति सीट प्रति वर्ष एवं ऑटो रिक्शा: ₹200 प्रति सीट प्रति वर्ष, द्वारा देय कर है।

[9] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी बड़सर, बंजार, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, गोहर, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, संगडाह, शिमला (शहरी), सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना

[10] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

तालिका 5.2: वाहनों का विवरण जिनसे सांकेतिक कर की वसूली नहीं की गई

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	पंजीयन एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ राज्य परिवहन प्राधिकरण के नाम	अवधि	वाहनों की कुल संख्या	वाहन की संख्या जिन्होनें कर का भुगतान नहीं किया	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1.	**(यात्री वाहन)** बसें/ मिनी बसें/मैक्सी कैब/ टैक्सी	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-** बंजार, बड़सर, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, हमीरपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, शिमला, सोलन, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-** बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना **राज्य परिवहन प्राधिकरण -** शिमला	2015-16 से 2016-17	6,167 13,690	1,549 3,857	2.91 1.87
		योग (क)		**19,857**	**5,406**	**4.78**
2.	**(माल वाहन)** भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी** - बंजार, बड़सर, चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, गोहर, हमीरपुर, जयसिंहपुर, ज्वाली, कण्डाघाट, केलांग, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, सगंड़ाह, शिमला, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -** बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला तथा सोलन **राज्य परिवहन प्राधिकरण -** शिमला		17,533 5,537	7,249 3,328	2.32 0.62
		योग (ख)		**23,070**	**10,577**	**2.94**
3.	**(निर्माण वाहन)** क्रैन, रिकवरी वैन आदि	**पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी** - बंजार, ज्वाली, कुल्लू, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर, शिमला (शहरी), सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -** बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा ऊना **राज्य परिवहन प्राधिकरण -** शिमला		932 1,301	232 373	0.43 0.35
		योग (ग)		**2,233**	**605**	**0.78**
		योग (क)+(ख)+(ग)		**45,160**	**16,588**	**8.50**

विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2018) कि सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, 18 पंजीकरण एवं लाइसेंस अधिकारियों तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला ने ₹36.19 लाख वसूल कर लिए थे; तथा शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि चूककर्ताओं को कर जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

5.5 यात्री एवं माल कर की गैर-वसूली

2015-16 से 2016-17 की अवधि हेतु ₹1.74 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर का न तो 2,320 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वाहन मालिकों से सभी किराये एवं भाड़े पर निर्धारित दर पर यात्री एवं माल कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित है तथा वाहन

मालिक, जैसे ही वाहन उपयोग में नहीं लाया जाता उस अवधि हेतु कर के भुगतान में छूट के लिए सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेंगे ।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा में 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमे कुल 10,112 पंजीकृत व्यावसायिक वाहन शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 इकाइयों में से सात इकाइयों में 2015-16 तथा 2016-17 की अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से ही पंजीकृत 2,320[11] व्यावसायिक वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा ₹1.74 करोड़ की राशि के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया था। व्यावसायिक वाहन मालिकों द्वारा कर अवधि के दौरान वाहनों के गैर उपयोग हेतु कर से छूट की मांग भी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा छानबीन से यह भी पता चला कि निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो मालिकों को मांग नोटिस जारी किए थे और न ही इन मामलों को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली हेतु समाहर्त्ता को भेजा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.74 करोड़ के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.3: वाहन जिनसे यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई का विवरण

₹ लाख में

क्रमांक	**वाहन की श्रेणी**	**यात्री एवं माल कर का भुगतान न करने वाले वाहनों की संख्या**	**वसूली योग्य राशि**			
			यात्री कर	**माल कर**	**कुल वसूली योग्य राशि**	**न्यूनतम शास्ति @ 500/- प्रति वाहन**
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/टैक्सी)	565	47.10	-	47.10	2.83
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	59	13.20	-	13.20	0.30
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन /हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,696	-	113.92	113.92	8.48
जोड़		**2,320**	**60.30**	**113.92**	**174.22**	**11.61**
					अथवा ₹1.74 करोड़	

इसके अतिरिक्त, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला एवं सोलन के यात्री एवं माल कर के अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में देखा गया कि यद्यपि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोषागार से चालान की प्रतियां प्राप्त कर ली थी, इनका इन्द्राज व्यावसायिक वाहन मालिकों के सम्बन्धित यात्री एवं माल कर खातों में नहीं किया गया था; यात्री एवं माल कर अभिलेखों को केवल व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय अद्यतन किया जा रहा था।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 316 वाहन मालिको[12], से ₹22.58 लाख वसूल कर लिए थे तथा बचे हुए चूककर्त्ताओं को शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

[11] चम्बा: 163 वाहन: ₹12.14 लाख, हमीरपुर: 1,097 वाहन: ₹67.38 लाख, किन्नौर: 120 वाहन: ₹11.30 लाख, कुल्लू: 428 वाहन: ₹43.78 लाख, मण्डी: 222 वाहन: ₹20.96 लाख, नूरपुर: 124 वाहन: ₹5.76 लाख तथा ऊना: 166 वाहन: ₹12.90 लाख

[12] यात्री कर: 106 वाहन, ₹9.20 लाख, चार शैक्षणिक संस्थान बसें, ₹2.60 लाख, माल कर: 206 वाहन, ₹10.78 लाख

5.6 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण व्यावसायिक वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत नहीं करवाया था जिसके परिणामस्वरूप ₹1.23 करोड़ राशि के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को अपने वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास करवाया जाना एवं निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। वाहनों का पंजीकरण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री एवं माल कर का संग्रहण विभिन्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। कोई भी वाहन मालिक राज्य में तब तक अपना वाहन नहीं चला सकेगा जब तक उसके पास आबकारी विभाग द्वारा जारी पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र नहीं है। यदि वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में अथवा कर या अधिभार का भुगतान करने में विफल रहता है तो शास्ति निर्धारित कर राशि की पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500, भी उद्ग्राह्य होगी।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 48 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिनमें कुल 2,13,977 व्यावसायिक वाहन शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2015-16 से 2016-17 के दौरान पांच पंजीकरण एवं लाइसेंस अधिकारियों[13] तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[14] के पास 8,681 व्यावसायिक वाहनों में से 2,947 पंजीकृत वाहनों को सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी कराधान अधिकारी, किन्नौर के पास पंजीकृत नहीं किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम में अपेक्षित था। लेखापरीक्षा छानबीन से यह भी पता चला कि आबकारी विभाग के पास सभी व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु सहायक आबकारी कराधान आयुक्तों/आबकारी कराधान अधिकारियों तथा सम्बन्धित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य अथवा इसके विपरीत क्रम से कोई सामंजस्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, इन वाहन मालिकों से ₹1.23 करोड़ के यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, ₹14.74 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य योग्य थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.4: आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत न किए गए वाहनों का विवरण

₹ लाख में

क्रमांक	वाहन की श्रेणी	पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत वाहनों की संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत न किए गए वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति @ 500/- प्रति वाहन
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/टैक्सी)	2,570	684	25.34	--	25.34	3.42
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	522	162	16.40	--	16.40	0.81
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	5,589	2,101	--	81.22	81.22	10.51
जोड़		**8,681**	**2,947**	**₹41.74**	**₹81.22**	**₹122.96**	**₹14.74**
						अथवा ₹1.23 करोड़	

[13] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, नूरपुर तथा ऊना

[14] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा तथा मण्डी

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2018) कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 442 व्यावसायिक वाहन मालिकों से ₹23.03 लाख (यात्री कर ₹6.23 लाख + माल कर ₹11.31 लाख + यात्री कर (शैक्षणिक संस्थान बसें: ₹5.49 लाख) वसूल कर लिए थे तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

सरकार देय यात्री एवं माल कर की वसूली हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करे।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे सभी मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्रवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।